**न्यायालय:– अपर सेशन न्यायाधीश, रावतसर, जिला–हनुमानगढ़**

पीठासीन अधिकारी – **राजन खत्री,**
**(RJS, DJ Cadre)**

जमानत आवेदन सी.आई.एस. संख्या – 177/2026

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 117/2026, पुलिस थाना पल्लू

**अपराध अंतर्गत धारा –3/25(1–बी), (ए), 3/25(8), आर्म्स एक्ट**

दिनेश कुमार पुत्र देवीलाल, उम्र 24 वर्ष, निवासी खरसंडी, पुलिस थाना नोहर, जिला हनुमानगढ़।

–– प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक, रावतसर।

––अप्रार्थी

**जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भा0 ना0 सु0 सं0**

उपस्थिति:–

01. श्री गौरीशंकर वर्मा, श्री मांगीलाल वर्मा, श्री अमित कुमार व श्री महीपाल सिंह, अधिवक्तागण–प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
02. श्री उमेश कुमार शर्मा, अपर लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।

**– आदेश–** **दिनांक:– 07–07–2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 भा.ना.सु.सं. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतसर द्वारा खारिज किए जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483, भा.ना.सु.सं. इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई। बहस सुनी गई।
2. जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 25.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। मुकदमा हाजा की सुनवाई में लम्बा समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्त इलाका हाजा के रहने वाले व्यक्ति हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत पर रिहा होने से भागने का व गवाहान पर प्रभाव डालने का कोई अंदेशा नहीं है। उक्त प्रकरण में कोई तफ्तीश बकाया नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त परिवार में अकेले कमाने वाले हैं। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय के आदेश पर मौतबीर जमानत पेश करने हेतु तैयार हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।
3. उक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है, इसलिए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।
4. उभय पक्षकारान के उक्त तर्कों पर विचार किया गया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
5. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 25–06–2026 को दौरान–ए–गश्त वाके स्थान सड़क आम कस्बा पल्लू से दो किलोमीटर माईल स्टोन के पास में अभियुक्त दिनेश कुमार से तलाशी के दौराने एक पिस्टल 32 बोर मिला,

जिसका उसके पास कोई लाईसेंस व परमिट नहीं था। उक्त तथ्यों के आधार पर उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर अनुसंधान जारी है। प्रार्थी/अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार है –

| Sr. No. | FIR No. & Police Station | Under Section | Status |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |

6. हस्तगत प्रकरण में पुलिस ने अब तक अपने अनुसंधान में प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3/25(1–बी), (ए), 3/25(8), आर्म्स एक्ट का अपराध प्रथमदृष्ट्या प्रमाणित माना है। प्रार्थी/अभियुक्त से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है तथा प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 25–06–2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में हैं। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना उक्त प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**–: आदेश :–**

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **दिनेश कुमार** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भा0 ना0 सु0 सं0 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **₹50,000/– रुपये** का स्वयं का मुचलका व **₹25,000–₹25,000/–** की 2 सुदृढ़ जमानतें विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे कि वह आदेशानुसार नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष हाजिर होता रहेगा, किसी प्रकार के कोई अपराध नहीं करेगा एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा तो अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर आजाद कर दिया जाए।

(राजन खत्री)

8. आदेश आज दिनांक 07–07–2026 को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(राजन खत्री)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.07.08 10:46:35 IST